

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-42 दिनांक 14-05-2016, पत्र संख्या-3735 दिनांक 27-10-2016 व पत्र संख्या-6228 दिनांक 02-02-2018 द्वारा सम्भागों के समस्त खण्डों/मण्डलीय/उपमण्डलीय कार्यालयों में बाहरी/निजी व्यक्तियों से नियम विरुद्ध कार्य लिया जाना दृढ़तापूर्वक समाप्त करने के निर्देश दिये गये थे। यू0पी0 वाणिज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, उ0प्र0 के पत्र सं0-127 दिनांक 05-11-2019 के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि वाणिज्य कर विभाग के कई कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं, जो राजस्व एवं सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने सम्भागों के समस्त खण्डों / मण्डलीय / उपमण्डलीय कार्यालयों में बाहरी / निजी व्यक्तियों से नियम विरुद्ध कार्य लिया जाना दृढ़तापूर्वक समाप्त करें एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र कि आपके अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में कोई भी बाहरी / निजी व्यक्ति कार्यरत नहीं है, उपलब्ध करायें। अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को यह भी संसूचित करें कि आकस्मिक जाँच में यदि किसी कार्यालय में कोई बाहरी / निजी व्यक्ति कार्य करते हुये पाया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 को दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा जोन के सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर से उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।